न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम अपर सिविल जज (जू0डी0), हरिद्वार।

कम्प्यूटर संख्या– 3300/2021
परिवाद संख्या– 871/2021

पतंजलि आयुर्वेद बनाम महावीर डेयरी।

दिनांक– 14.07.2026

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश। परिवादी की हाजरी माफी प्रार्थना पत्र द्वारा विद्वान अधिवक्ता दिलशाद अली पेश। केवल आज हेतु स्वीकृत। पत्रावली प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 143ए परक्राम्य लिखित अधिनियम पर आदेश हेतु नियत है।

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 143ए परक्राम्य लिखित अधिनियम</u>

2. परिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 143ए एन0आई0एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी उपरोक्त परिवाद में परिवादी है। उपरोक्त केस में आज की तिथि परिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। उपरोक्त परिवाद में विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इस कारण परिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया जा रहा है कि परिवादी को विपक्षी से अंतरिम क्षति पूर्ति राशि के रूप में परिवाद में उल्लेखित चैक की राशि की 20 प्रतिशत राशि दिलावाई जावे। उपरोक्त प्रकरण में विपक्षी द्वारा अभियोग का दोषी नही होने सम्बन्धित अभिकथन किया है। ऐसी स्थिति में एन0आई0एक्ट में वर्णित धारा 143 (ए) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी को विपक्षी से प्रश्नगत चैक की कुल रकम का 20 प्रतिशत अंतरिम प्रतिकर राशि दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

3. परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किये गये कि प्रार्थना पत्र गलत तथा झूठे तथ्यों पर आधारित करके प्रस्तुत किया गया है तथा काननून पोषणीय नही है। उपरोक्त प्रकरण में विपक्षी द्वारा अभियोग को दोषी नही होने सम्बंधित अभिकथन किया है, ऐसी स्थिति में एन0आई0एक्अ में वर्णित धारा 143क के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी को विपक्षी से प्रश्नगत चैक की कुल रकम का 20 प्रतिशत अंतरिम प्रतिकर राशि दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं प्रार्थनीय है, बिल्कुल गलत तथा झूठ है। अभियुक्त द्वारा उक्त चैक में वर्णित धनराशि का देयता होने से अस्वीकार किया गया। अभियुक्त द्वारा समस्त धनराशि जो अभियुक्त की ओर थी, को दिलाया जा चुका है तथा अभियुक्त को परिवादी द्वारा गलत तरीके से तथा परेशान करने के उद्देश्य से उक्त परिवाद दाखिल किया गया है। परिवादी ने अभी तक अपने तथ्यों को साबित नही किया है, जिस कारण उक्त स्तर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नही है तथा अभियुकत के 251 सीआर0पी0सी0 के बयानों में उल्लेखित बयानों को गलत साबित करने हेतु कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है, जिस कारण परिवादी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है। अभियुक्त द्वारा उक्त चैक केवल सिक्योरिटी के रूप में दिया गया था, जिसे कई बार अभियुक्त द्वारा वापिस मांगा गया, परन्तु परिवादी द्वारा टाल मटोल किया गया तथा उक्त चैक का दुरूपयोग किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। अभियुक्त की ओर से अपनी आपत्ति के समर्थन में माननीय उच्च्तम न्यायालय की नजीर Rakesh Ranjan Shrivastava Vs The State Of Jharkhand & ANR. Criminal Appeal No. 741 of 2024 प्रस्तुत की गई है।

4. परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिलशाद अली एवं अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शांतनु भारद्वाज को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन एवं परिशीलन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चैक में वर्णित धनराशि का 20 प्रतिशत अंतरिम प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है। उक्त सम्बन्ध में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143 क का उल्लेख किया जाना आवश्यक ह। यह प्रावधान इस प्रकार है–

143–क. अंतरिम प्रतिकर का निदेश देने की शक्ति– (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी. धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चैक के लेखीवाल को–

(क) संक्षिप्त विचारण या समन मामले में. जहां परिवाद में उसने किऐ गये अभियोग का दोषी नही होने का अभिवाक किया हो,

(ख) अन्य किसी मामले में, आरोप विरचित किए जाने पर. परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन अंतरिम प्रतिकर चैक की रकम के बीस प्रतिशत से अधिक नही होगा।

(3) अंतरिम प्रतिकर का, उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या चैक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, संदाय किया जाएगा।

(4) यदि चैक के लेखीवाल को दोषमुक्त किया जाता है, तो न्यायालय परिवादी को प्रतिकर की अंतरिम रकम लेखीवाल को. आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाप्रकाशित प्रचलित बैंक दर पर ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने का निदेश देगा।

(5) इस धारा के अधीन संदेय अंतरिम प्रतिकर इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा, मानों यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 421 के अधीन कोई जुर्माना था।

(6) धारा 138 के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम में से इस धारा के अधीन अंतरिम प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई रकम घटा दी जाएगी।

6. उक्त प्रावधान के अवलोकन से यह विदित है कि धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चैक के लेखीवाल को जहां परिवाद में उसने किये गये अभियोग का दोषी न होने का अभिवाक किया हो तो परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकेगा तथा ऐसी रकम चैक की रकम के 20 प्रतिशत से अधिक नही होगी।

7. उक्त के सबंध में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायनिर्णयन **Rakesh Ranjan Shrivastava Vs The State Of Jharkhand & ANR. Criminal Appeal No. 741 of 2024** में यह अवधारित किया गया है कि–

a. The exercise of power under sub-section (1) of Section 143A is discretionary. The provision is directory and not mandatory. The word “May” used in the provision cannot be construed as “shall.”

b. While deciding the prayer made under Section 143A, the Court must record brief reasons indicating consideration of all relevant factors.

c. The broad parameters for exercising the discretion under Section 143A are as follows:

i. The Court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused in the reply to the application, The financial distress of the accused can also be a consideration.

ii. A direction to pay interim compensation can be issued, only if the complainant makes out a prima facie case.

iii. If the defence of the accused is found to be prima facie plausible, the Court may exercise discretion in refusing to grant interim compensation.

iv. If the Court concludes that a case is made out to grant interim compensation, it will also have to apply its mind to the quantum of interim compensation to be granted, While doing so, the Court will have to Consider several factors such as the nature of the transaction,

the relationship, if any, between the accused and the complainant, etc.
v. There could be several other relevant factors in the peculiar facts of a given case, which cannot be exhaustively stated. The parameters stated above are not exhaustive.

8. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि हस्तगत परिवाद परिवादी द्वारा दिनांक 21.08.2021 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके पश्चात अभियुक्त के दिनांक 12.08.2025 को बयान अन्तर्गत धारा 251 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये है, जिसमें अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया कि "मैंने दूध के व्यापार के सिलसिले में परिवादी को सिक्योरिटी के रूप में चैक दिया था, जो कि परिवादी ने दुरूपयोग करके बाउन्स करवाया है। चैक बाउन्स का मेरे पास मैसेज आया था। मेरे साथ परिवादी का जो लेनदेन है, वह मुझे नही बता रहे है। मेरे चैक में स्वयं रकम अपनी मर्जी से भरकर बैंक में लगा दिया।" अभियुक्त द्वारा अपने उपरोक्त बयानों में चैक उसका होने तथा चैक पर उसके हस्ताक्षर होने व उसके द्वारा ही चैक परिवादी को दिये जाने के कथन किये गये है। अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई कारण दर्शित नही किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया धारा 143ए परक्राम्य लिखत अधिनियम में परिवादी को प्रतिकर न दिये जाने का केाई कारण दर्शित हो। चूंकि धारा 143ए परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत अन्तरिम प्रतिपूर्ति एक विवेकाधिकार है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण के गुणदोष पर कोई भी विचार किये बिना न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि परिवादी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। तद्नुसार निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है,

<u>आदेश</u>

परिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143क परक्राम्य लिखत अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह अन्तरिम प्रतिकर के रूप में चैक की रकम मु0 20,83,740/—रूपये का 5 प्रतिशत अर्थात् 1,04,000/—रूपये आदेश की दिनांक से 60 दिन के भीतर परिवादी को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

परिवादी को उपरोक्त धनराशि धारा 143क में उल्लिखित धन प्रत्यावर्तित किये जाने के बावत शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। पत्रावली दिनांक 10.08.2026 को अग्रिम कार्यवाही/परिवादी साक्ष्य हेतु पेश हों।

(तनुजा कश्यप)
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/
प्रथम अपर सिविल जज (जू0डी0), हरिद्वार